

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एमएसीपी/32496/जो-जयपुर/2026/ Rajkaj Ref.No दिनांक- AS Per Sign.

::आदेश::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1) एफ.डी. (ग्रुप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ.14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-आ दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ.15 (88) एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022 एवं दिनांक 06.10.2023 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग कर्मी जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार ACP स्वीकृत की जाती है :-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम एवं पद	पदस्थापन जिला/स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	ACP/MACP देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	वर्तमान में प्राप्त पे लेवल	देय पे लेवल
1	नोरती मीणा म.स्वा.कार्यकर्ता	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर	03.07.1997	03.07.2024 27 वर्ष	लेवल-11	लेवल-12

1-यदि कार्मिका के 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने पर नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/एमएसीपी/32496/जो-जयपुर/2026/ Rajkaj Ref.No दिनांक- AS Per Sign.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- 1 समस्त संबंधित नियंत्रण अधिकारी ।
- 2 सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 3 प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 4 आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date: 2026.03.10 11:04:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20831008

